बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

ज्ञापन

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के नियंत्रणाधीन कार्यरत श्रीमती प्रियंका कुमारी (आपूर्ति सेवा, कोटि क्रमांक–495/24), आपूर्ति निरीक्षक, घोसवरी, पटना के विरूद्ध अपर जिला दण्डाधिकारी (आपूर्ति), पटना के पत्रांक–1321 दिनांक–06.09.2025 द्वारा एस ब्रेकिंग डिजिटल प्लेटफार्म न्यूज चैनल पर वायरल विडियो में जन वितरण प्रणाली दुकानदार से अवैध रूप से 5000/– रूपये की राशि की माँग किये जाने, वायरल दूसरे विडियो में श्रीमती कुमारी के पति विशाल विभू के द्वारा कार्यालय में जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं से मासिक तय कमीशन की राशि वसूली करने, घोसवरी प्रखंड अन्तर्गत आम जनता द्वारा समर्पित संयुक्त हस्ताक्षरयुक्त आवेदन में श्रीमती कुमारी के विरूद्ध भ्रष्टाचार में लिप्त रहने एवं दलाल के माध्यम से अवैध राशि की वसूली करने तथा बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के उल्लंघन करने जैसे आरोप प्रतिवेदित करते हुए आरोप पत्र प्रपत्र 'क' गठित कर विभाग को उपलब्ध कराया गया। श्रीमती कुमारी के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के संगत प्रावधानों के तहत विभागीय ज्ञापन ज्ञापांक–2501 दिनांक–22.09.2025 द्वारा उनसे लिखित बचाव बयान की माँग की गयी।

उक्त के क्रम में श्रीमती कुमारी द्वारा समर्पित बचाव बयान के समीक्षोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने के फलस्वरूप इनके विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों की विस्तृत जाँच हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया जाता है।

2. श्रीमती कुमारी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालन हेतु उप निदेशक (खाद्य), पटना प्रमंडल, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है ।

3. सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बाढ़, पटना को प्रस्तुत विभागीय कार्यवाही में साक्ष्य उपस्थापन/ प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है ।

4. संचालन पदाधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि आरोपी कर्मी को आरोप पत्र प्रपत्र–'क' एवं साक्ष्यों की एक प्रति अपने स्तर से तामिला कराते हुए तीन माह के अन्दर विभागीय कार्यवाही पूरी कर तत्संबंधी जाँच प्रतिवेदन मंतव्य सहित निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध करा देंगे ।

5. श्रीमती कुमारी को यह निदेश दिया जाता है कि आरोप पत्र प्राप्त होने के 15 दिनों के अन्दर आरोपों के संदर्भ में अपना बचाव पक्ष संचालन पदाधिकारी के समक्ष अवश्य समर्पित कर देंगे।

12/1/2026

(रवीन्द्र कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक– प्र08–गो0आ0(पटना)–10/2025– 219 /खाद्य, पटना/दिनांक– 12/01/2026

प्रतिलिपि–1. प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/अपर जिला दण्डाधिकारी (आपूर्ति), पटना/अनुमंडल पदाधिकारी, बाढ़, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप निदेशक (खाद्य), पटना प्रमंडल, पटना–सह–संचालन पदाधिकारी (आरोप पत्र प्रपत्र 'क' एवं साक्ष्य की प्रति के साथ) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बाढ़, पटना–सह–साक्ष्य उपस्थापन पदाधिकारी (आरोप पत्र प्रपत्र 'क' एवं साक्ष्य की प्रति के साथ) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4. श्रीमती प्रियंका कुमारी (आपूर्ति सेवा, कोटि क्रमांक–495/24), आपूर्ति निरीक्षक, घोसवरी, पटना, E-Mail : kumaripriyanka162@gmail.com को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5. प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–03, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6. आई0टी0 मैनेजर (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु), खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।